प्रेस नोट दिनाँक 02-06-2024 थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

- थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 345/2024 धारा 363 भादवि में अभियुक्त को गिरफ्ताकर कर किया घटना का सफल अनावरण ।
- अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी हेतु गयी पुलिस टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड ।
- पुलिस मुठभेड मे अभियुक्त गुलफाम के पैर में लगी गोली ।
- अभियुक्त गुलफाम से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एवं अवैध असलाह आदि बरामद ।

दिनांक 02.06.2024 को वादिया मुस्कान पत्नी आकिब निवासी दर्जी गली , कटरा मीरा ,कस्बा व थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद ने थाना शिकोहाबाद पर सूचना दी कि उसकी नाबालिग लडकी उम्र करीब डेढ वर्ष घर के बाहर खेल रही थी और शाम 07.00 बजे से नही मिल रही है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना पुलिस द्वारा छानबीन शुरू कर दी गयी एंव आस पास के कैमरे देखे गये। एक कैमरे के फुटेज में उसका बहनोई गुलफाम उस बच्ची ले जाता हुआ दिखा। वादिया द्वारा दिये गये लिखित तहरीर के आधार पर तुरन्त मु0अ0सं0 345/2024 धारा 363 भादवि बनाम गुलफाम पुत्र टुनटुन निवासी पजाया मौहल्ला रूकनपुरा थाना शिकोहाबाद आदि 02 नफर पंजीकृत हुआ।

उपरोक्त अपराध की घटना को गम्भीरता से लेते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , फिरोजाबाद ने थाना शिकोहाबाद एंव एसओटी टीम को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया। अपर पुलिस अधीक्षक देहात के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के पर्यवेक्षण में थाना शिकोहाबाद पुलिस की एक टीम घटना के अनावरण हेतु गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा अभियोग में नामित अभियुक्त गुलफाम पुत्र टुनटुन उर्फ मौहम्मद उस्मान निवासी पजाया मौहल्ला रूकनपुरा थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को आज दिनांक 02.06.2024 को समय 11.30 बजे गिफ्तार किया गया , परन्तु सहअभियुक्ता फरार हो गयी हैं । अभियुक्त की निशा देही पर अपहृता का शव एंव आला कत्ल की बरामदगी हुई , उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 363 भादवि का लोप कर धारा 364/302/201/120बी भादवि की बढोत्तरी की गयी।

पूछताछ का विवरण ..... गिरफ्तार शुदा अभियुक्ता गुलफाम ने बताया साहब मुझ में शराब पीने की लत लग गयी है। मेरी शादी करीब 07 वर्ष पूर्व नन्हो उर्फ नेहा (बच्ची की सगी फुआ) के साथ हुई थी मेरी ससुराल दर्जीवाली गली कस्बा शिकोहाबाद में है मेरी ससुराल वालो से बोलचाल नही थी। दिनांक 31.05.2024 को मुझे मेरी पत्नी नन्हो उर्फ नेहा ने जिद करके ससुराल भेज दिया था मैं अपनी ससुराल गया तो मुझसे मेरी सरहज मुस्कान उल्टा बोलने लगी। मुझे गुस्सा आ गया और उसकी लडकी उम्र करीब डेढ वर्ष घर के बाहर खेल रही थी मैं उस लडकी की अपनी गोद में अपने साथ उठा ले आया और साहब मेरा साला आकिब लडकी की तलाश में हमारे घर आया तो मैने व पत्नी ने कुछ नही बताया। बीती रात में मुझसे मेरी पत्नी ने कहा कि जब तुम लडकी को उठा ले और आकिब को कुछ नही बताया तो लडकी की हत्या कर दो। मैं अपनी पत्नी

के कहने पर लडकी को लेकर पंजाबी कालौनी में सुनसान जगह पर गया और लडकी की ईटो से कुचलकर हत्या कर दी थी और लडकी की दाहिने हाथ को छुरा से काट दिया था। शव को कचडे के पास इस मंशा से डाल किया था कि कुत्ते या जानवर लडकी के मृत शरीर को खा जायेगे और किसी को पता नही चलेगा। लडकी की हत्या करने में मेरे पहने पेन्ट में खून लगा गया था इसलिये मैने अपने कपडे व लडकी के कपडे को नगला प्रभू नहर झाल के पास झाडियां में रख दिया था और मेरी पत्नी घटना के बाद से ही रात में ही कहीं घर से निकल गयी है। मैं भी बाहर जाने के लिये घर से सामान लेने जा रहा था कि आपने पकड लिया। साहब यदि आप मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं आपको वह स्थान दिखा व बता सकता हूँ जिस पर मैने लडकी की ईटो से कुचकलकर हत्या करने के बाद लडकी के शव को डाला था। अभियुक्त की निशा देही अभियोग उपरोक्त की अपहृता का शव व आला कत्ल ईटो के टुकडे एंव एक अदद छुरा बरामद हुआ । अभियुक्त से पुनः बारीकी से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैने मृतका के कपडे व अपने खुन से लिसडे हुये कपडो को छिपाकर नगला प्रभू पुलिया भूडा नहर के पास रख दिया है। पुलिस टीम अभियुक्त की निशा देही पर बरामदगी हेतु गयी तो वहां पर अभियुक्त ने पहले से छिपाकर लोडिड तमंचा रखा हुआ था तथा मौका पाकर तमंचा को निकलाकर पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया पुलिस की जबाब कार्यवाही में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर नाल में फंसा हुआ खोखा कारतूस बरामद हुआ हैं।

बरामदगी .... अभियुक्त की निशा देही पर ईट के दो अदद टुकडे

2. एक अदद छुरा लोहा
3. एक अदद तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस
4. मृतका के कपडे व अभियुक्त के घटना के समय खून से लिसडा हुआ पेन्ट

- **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास -**

1-गुलफाम पुत्र टुनटुन उर्फ मौहम्मद उस्मान निवासी पजाया मौहल्ला रूकनपुरा थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 345/2024 धारा 364/302/201/120बी भादवि थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद

मु0अ0सं0 346/2024 धारा 307 भादवि पु0मु0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शिकोहाबाद

- **गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्र0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी सब्जी मण्डी थाना शिकोहाबाद
3. उ0नि0 श्री मनोज कुमार पौनिया थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
4. हैड का0 54 ज्ञान सिंह थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबा
5. हैड का0 708 सुशील कुमार थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद